

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-41/2016 परि0...../

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।

पटना, दिनांक

विषय:- **M/s-Mahindra & Mahindra Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।**
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-Mahindra & Mahindra Ltd. के द्वारा प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त अभिप्रमाणित प्रोटोटाइप जाँच प्रमाण-पत्र एवं अन्य कागजातों के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No.	Base Model	T.A. Certificate No/Date	Types of Vehicle
1	Mahindra Blazo 25 6x4 6C BSIV 4250 Tipper Chassis Day Cab and its 34 Variants	AAMN 0127/21.03.2017	Heavy Commercial Vehicle Goods optional Air Conditioner- N3
2	Mahindra Blazo 31 8x4 6C BSIV 5300 Tipper Chassis Day Cab and its 10 Variants	AAMN 0119/20.03.2017	Heavy Commercial Vehicle Goods optional Air Conditioner- N3
3	Mahindra Blazo 35 4x2 6C BSIV 3075 Tractor 1S Cab and its 5 Variants	AAMN 0125/21.03.2017	Heavy Commercial Vehicle Goods -N3
4	Mahindra Blazo 40 4x2 BSIV 3075 Tractor 1S Cab and its 5 Variants	AAMN 0101/07.03.2017	Heavy Commercial Vehicle Goods -N3
5	Mahindra Blazo 37 10x2 6C CR3 BSIV 6100 Truck Chassis 1S Cab and its 13 Variants	AAMN 0048/09.02.2017	Commercial Vehicle Goods- N3
6	Mahindra Blazo 49 6x4 6C BSIV 4100 Tractor 1S Cab and its 2 Variants	AAMN 0071/17.02.2017	Commercial Vehicle Goods- N3
7	Mahindra Blazo 31 8x2 6C CR3 BSIV 6100 Truck Chassis 1S Cab and its 73 Variants	AAMN 0045/08.02.2017	Commercial Vehicle Goods- N3

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
- बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त मॉडलों एवं Variants के निबंधन के समय मोटरयान निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें निर्धारित मानक का Speed Governer लगा हुआ है।
- संबंधित Models का बिक्री मूल्य डीलर द्वारा संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे जिसे कार्यालय कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
- निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छ माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि- Authorised Signatory: For M/s- Mahindra & Mahindra Ltd. Alankar Business Center,
East Boring Canal Road, Patna- 1 को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक : 2560

पटना, दिनांक : 15/5/17

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु X.I
Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।